

निर्णय बईजलास रामचरण शर्मा, आर.ए.एस., न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण संख्या:-48/18

दायरा 05.11.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी.....

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द विक्रेता एवं मालिक मैसर्स खुशबु टी ट्रेडिंग सेटों का चौराहा झालरापाटन।
2. दिलीप कुमार पुत्र श्री बापुलाल मालिक मैसर्स अन्नू ट्रेडिंग कम्पनी चन्द्रभागा रोड़ झालरापाटन।
3. मयुर भण्डारी पुत्र श्री दिलीप कुमार मालिक मैसर्स श्री ऋषभ इन्टरप्राइजेज चन्द्रभागा रोड़ झालरापाटन।
4. श्री कुन्नु नाथ एजेन्सी कोटा प्रो. युगल जैन पुत्र श्री पवन कुमार जैन S-234-K Road no.5 IPIA Kota (Raj.) 324005
5. जितेन्द्र परिहार पुत्र श्री मोहनलाल कुम्हारो का बास फलोदी जिला जोधपुर राज. पिन नं. 342301 नॉमिनी श्री राधे केम फूड।

गैर सायलान.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

- उपस्थित- 1- परोकार सरकार  
2- गैर सायलन 1,3 व 4

--: आदेश :-

दिनांक:- 18.12.2018



श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा० सेवार्ये राज० जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधि० झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 17.02.2018 को समय बाद दोपहर 02.00 बजे मय टीम के मैसर्स खुशबु टी ट्रेडिंग सेटों का चौराहा झालरापाटन पर निरीक्षण के लिये पहुंचा। वहा पर मनोज कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द खाद्य पदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) का विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) Poly Pack 1 kg. B. No. 06 Pkd 06/2017 manu by shree radhey chem. Food reg. all Agarwal colony nai sarak phalod 342301 (Raj.) FSSAI Licence no. 10016013001096 की 25-25 किलों के चार कट्टे जो कि दुकान के फर्श पर रखे थे। जो आम जनता को बेचान की जा रही थी। उसमें मिलावट का संदेह होने पर 1 किलों×4 मूल पैक नमक की थैली (महाकोश हैल्थ) के वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को रु 80/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं ने किये जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मनोज कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द विक्रेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मनोज कुमार को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) के 1-1 किलों के चार मूल पैक को लेकर प्रत्येक पर लेबल चिपकाये व खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी-933 नमूना लेने की दिनांक ,स्थान दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी-933 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति- जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़ (राज०)

P.T.O.

(2)

चारों नमूना भागों को अपने जापों में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैंने हस्ताक्षर किये, फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर श्री जगदीश प्रसाद मीणा च.श्रे.कर्म. कार्या0 हाजा के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएस/2018/36-39 दिनांक 09.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. 129/एफ.एस.एस.ए./कोटा एक्ट/2018/112 दिनांक 06.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया खाद्य प्रदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है जिसकी सूचना गैर सायलान को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जाँच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरुद्ध कोई अपील प्राप्त नहीं हुई, जाँच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफएसएस/2018/127 दिनांक 16.08.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ज नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस में नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायलान नं0 1,3 व 4 उपस्थित हुये गैर सायलान नं0 2 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे गैर सायलान द्वारा अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि खाद्य सुरक्षा के नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण खाद्य पदार्थ में लेबलिंग नियमानुसार नहीं हो पाई, अब नियमानुसार लेबलिंग की जा रही है, कृपया प्रकरण खारिज फरमाकर गैर सायलान को दोषमुक्त किया जावे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि में सलग्न किये गये दस्तावेजों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये हैं। उक्त सभी दस्तावेजों से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) मिसब्राण्ड का भण्डारण एवं विक्रय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा गैरसायलान की मौखिक बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ आयोडिन नमक (महाकोश हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जाँच रिपोर्ट अनुसार गैर सायलान का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एफ.) (सी)(आई) के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 में उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुये गैर सायलान नं0 1 लगायत 4 कमशः 1 मनोजकुमार, 2 दिलीप कुमार, 3 मयूर भण्डारी, 4 कुन्थुनाथ प्रत्येक को 5000-5000/- (अक्षरे पाँच-पाँच हजार रुपये) व गैर सायलान 5 जितेन्द्र कुमार परिहार नॉमिनी राधेकम फूड जोधपुर को 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फॉसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.18 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।



(समन्वयण शर्मा)  
न्यायनिर्णयक अधिकारी एवं  
आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़  
झालावाड़ (राज०)